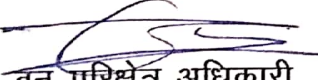


वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

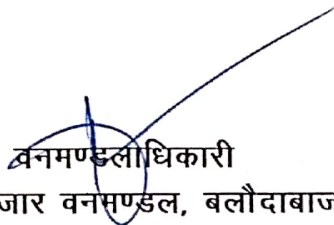
प्रमाणित किया जाता है कि कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत NHAI PIU-Korba द्वारा Development of Urga-Pathalgaon Section of NH-130A Raipur-Dhanbad Economic Corridor in the State of CG under Bharatmala Pariyojna प्रकरण अंतर्गत प्रभावित होने वाली वनभूमि 169.0231 हे. के एवज में 171.4929 हे. गैर वन क्षेत्र वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु FC Rule 2022 के ACA के प्रावधानों के तहत आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उक्त क्षेत्र पूर्व में वृक्षारोपण किया गया क्षेत्र है, जो बलौदाबाजार परिक्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। ग्रामवार खसरावार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खसरा नं.	रकबा (हे. में)
1	2	3	4	5
1	कोदवा	45	1643 / 4	39.473
2	कोसमंदा	19	1 / 1, 1040 / 1 / क / 1	10.250
3	अमलीडीह	06	377	12.000
4	तेलासी	14	452	14.705
5	पड़रिया	47	8 / 1, 85 / 1, 404 / 1 / क	18.000
6	चिचिरदा	30	243 / 1	16.3149
7	अहिल्दा	29	87 / 1 / क	25.1921
8	बलौदी	27	586 / 1	19.9026
9	गाड़ाकुशमी	13	24 / 1	15.6553
	योग :-			171.4929

FC Rule 2022 में Accredited Compensatory Afforestation के प्रावधानों के तहत क्षेत्र के वन संवर्धन एवं सुरक्षा हेतु प्राक्कलन बनाया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। उपरोक्तानुसार प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया, उक्त क्षेत्र Accredited Compensatory Afforestation हेतु उपयुक्त है एवं प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
बलौदाबाजार


उपवनमण्डलाधिकारी
बलौदाबाजार


वनमण्डलाधिकारी
बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार